राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या –1902/2010/जयपुर

मैसर्स दुर्गा कन्सट्रक्शन,85–चित्रगुप्त नगर,
इमलीवाला फाटक, जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, संभाग–द्वितीय, जयपुर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::
श्री अलकेश शर्मा व श्री विनय कुमार गोयल,
अभिभाषकगण। अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद,
उप–राजकीय अधिवक्ता । .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 12.02.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स–पंचम) जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक **03.06.2010** के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो **अपील संख्या 78/अपी.–II/2008–09/जे.पी.बी.** के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, संभाग–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा कुल कार्य संविदा राशि **₹5,48,439/–** पर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क निर्धारित कर, मुक्ति प्रमाण पत्र संख्या **2/54 दिनांक 11.09.2006** जो जारी किये गये है, को अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिसम्मत होना अवधारित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने को विवादित किया गया है

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष **2006–07** के दौरान राजस्थान टूरिसम डवलप्मेंट कॉरपोरेशन, लि., से "Renovation of 14 Nos. Toilet at Hotel Panna Chittorgarh कार्य निष्पादन का कार्यादेश प्राप्त किया। जिसकी कुल संविदा कार्य राशि **₹5,48,438/–** पर प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क निर्धारित कर, मुक्ति प्रमाण पत्र **क्रमांक 2/54 दिनांक 11.09.2006** जारी किया गया। उक्त से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 33 के तहत् परिशोधन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, 1.5 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क जारी करने की प्रार्थना की गयी । जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर, आदेश दिनांक 02.05.2008 पारित किया गया । उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क निर्धारण को

लगातार 2

अधिकारी द्वारा 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क निर्धारण को विधिसम्मत् एवम् उचित होना अवधारित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी। जिससे क्षुब्ध होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है । जिसमें मुक्ति प्रमाण पत्र जो 3 प्रतिशत की दर से, मुक्ति शुल्क निधारित कर, जारी किया गया है, को चुनौती दी गयी है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी, मुक्ति प्रमाण पत्र अधिसूचना दिनांक **11.08.2006** के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सम्पादित कार्य पूर्णतः में टॉयलट से संबंधित रेनोवेशन कार्य किया जाता है जिसमें सीमेन्ट, लोहा, रेती, गिटटी आदि का उपयोग ही किया जायेगा **बिल्डिंग से संबंधित हैं,** जिन पर मुक्ति शुल्क दर **1.5 प्रतिशत अधिसूचित है, न कि 3 प्रतिशत।** इस संबंध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 8 की उप–धारा 3 के तहत् जारी **अधिसूचना क्रमांक एफ12(63) एफडी/ टैक्स/ 2005–80 दिनांक 11.08.2006** में अंकित शब्दावली **"relating to building"** की ओर ध्यानाकर्षित कर, तर्क दिया कि भवनों से संबधित कार्य के लिये अधिसूचना में अधिसूचित शुल्क 1.50 प्रतिशत है। इसके क्रम संख्या 3 में अंकित 3 प्रतिशत मुक्ति शुल्क दर, **अन्य कार्यसंविदाओं के लिये है, जो क्रम संख्या 1 व 2** से आच्छादित नहीं है। अपने कथन के समर्थन में माननीय कर बोर्ड की समान बिन्दुओं पर पारित निर्णय दिनांक 23.02.2012 अपील संख्या 766, 683 व 684/2010/जयपुर को प्रोद्धरित कर, उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित विधिक के आलोक में, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अभिखण्डित कर, प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

4. उपराजकीय अभिभाषक ने दोनों अवर अधिकारियों के पारित आदेशों का पुरजोर समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

5. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया एवम् माननीय न्यायालयों के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि का ससम्मान अध्ययन किया गया तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक **11.08.2006** के अवलोकन से विदित होता है कि **इसमें अंकित सूची के क्रम संख्या 1 में निम्न प्रकार अंकित किया गया है :–**

क्रम संख्या 1 – "Works Contracts **relating to buildings ..." - 1.50% यहाँ भवनों से संबंधित (relating to building)** शब्दावली अतिमहत्वपूर्ण है जिसकी व्याख्या माननीय न्यायालयों द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में की गयी है तथा **भवनों व सड़कों से संबंधित शब्दावली की परिधि विस्तृत होना**

अवधारित किया गया है। कार्य संविदा से संबंधित **"जी—शिड्यूल्स"** के अध्ययन से विदित होता है कि कार्य संविदा निष्पादक द्वारा आलोच्य कार्यादेशों से प्राप्त उक्त समस्त कार्य भवनों से ही संबंधित है। जैसाकि माननीय कर बोर्ड के समन्वयपीठ (खण्डपीठ) द्वारा निर्णय दिनांक 23.02.2012 अपील संख्या 766, 683 व 684/2010/जयपुर के प्रकरणों में विधि प्रतिपादित की गयी है तथा माननीय खण्डपीठ के उक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तों से अपीलार्थी व्यवहारी का हस्तगत प्रकरण आच्छादित है। अतः दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेश विधि अनुकूल नहीं है। लिंहाजा, विद्वान् अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किया जाकर, अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाती है।

6. परिणामतः, अपील स्वीकार की गयी।

7. निर्णय सुनाया गया।

12.2.14

(मदन लाल)
सदस्य